"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2013— आषाढ़ 28, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विवेक सक्सेना पिता स्व. सुशील कुमार सक्सेना उम्र-50 वर्ष, निवासी- ई-303 पार्क रेसीडेन्सी, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य रिकार्ड में मेरा नाम विवेक कुमार सक्सेना अंकित है, को सुधार कर सही एवं पूरा नाम विवेक सक्सेना पिता स्व. सुशील कुमार सक्सेना दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे विवेक सक्सेना पिता स्व. सुशील कुमार सक्सेना के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
विवेक कुमार सक्सेना पिता-स्व. सुशील कुमार सक्सेना निवासी-ई-303, पार्क रेसीडेंसी जी. ई. रोड. तेलीबांधा रायपुर (छ. ग.)	विवेक सक्सेना पिता-स्व. सुशील कुमार सक्सेना निवासी-ई-303, पार्क रेसीडेंसी जी. ई. रोड, तेलीबांधा रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अल्पना सक्सेना ध. प. श्री विवेक सक्सेना आयु-43 वर्ष, निवासी- ई-303 पार्क रेसीडेन्सी, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं, अल्पना गुप्ता आत्मजा श्री बी. एस. गुप्ता के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाती थी, मेरा विवाह दिनेश कुमार खण्डेलवाल पिता श्री एम. पी. खण्डेलवाल, निवासी-रायपुर से हिन्दू रीति-रिवाज से सम्पन्न हुआ था. यह कि श्री दिनेश कुमार खण्डेलवाल की मृत्यु हो जाने के पश्चात् मेरा पुनर्विवाह दिनांक 13-07-2005 को विवेक सक्सेना पिता श्री सुशील कुमार सक्सेना से हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ. पुनर्विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती अल्पना सक्सेना पति श्री विवेक सक्सेना रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती अल्पना सक्सेना पति श्री विवेक सक्सेना के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती अल्पना खण्डेलवाल पति-स्व. दिनेश कुमार खण्डेलवाल निवासी-ई-303, पार्क रेसीडेंसी जी. ई. रोड, तेलीबांधा रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती अल्पना सक्सेना पति-श्री विवेक सक्सेना निवासी-ई-303, पार्क रेसीडेंसी जी. ई. रोड, तेलीबांधा रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नरगिस अख्तर पति श्री परवेज अख्तर, उम्र-41 वर्ष, निवासी- क्राऊन रिक्शा गैरेज, अखाड़े के पास, बैजनाथ पारा, रायपुर तह. व जिला - रायपुर (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं, कुमारी रीता गुप्ता पिता-श्री हेमराज गुप्ता, निवासी-छोटापारा, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं शासकीय, अर्ध शासकीय दस्तावेजों में अंकित है. यह कि मेरा विवाह दिनांक 13-11-1991 को परवेज अख्तर पिता स्व. अब्दुल रहीम निवासी-क्राऊन रिक्शा गैरेज, अखाड़े के पास, बैजनाथ पारा, रायपुर (छ. ग.) के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती नरगिस अख्तर पति परवेज अख्तर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती नरगिस अख्तर पति परवेज अख्तर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कुमारी रीता गुप्ता पिता-श्री हेमराज गुप्ता निवासी-नलघर रोड, कैफे काफी डे के सामने बैजनाथ पारा, रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती नरगिस अख्तर पति-श्री परवेज अख्तर निवासी-क्राउन रिक्शा गैरेज अखाडे के पास, बैजनाथ पारा, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH
High Court Premises, Bilaspur

Bilaspur, the 10th July 2013

NOTICE OF ELECTION

(Under Rule 6 of Election Rules of the Council)
(For Election of Members of State Bar Council of Chhattisgarh)

Ref. No. SBC/CG/Notification-4/Election/2013.—The State Bar Council of Chhattisgarh by this Notification notify the Election Programme for Election of 25 Members of State Bar Council of Chhattisgarh. The voter acvocates who are willing to contest the election for the member of State Bar Council of Chhattisgarh may file their Nomination papers before the undersigned in the Election office of the State Bar Council of Chhattisgarh, Behind Town Hall, Collectorate Road Bilaspur, Phone No. 07752-222116 on the date mentioned in this Notification along with the Security Deposit of Rs. 10000/- (Rupees Ten Thousand Only) to be tendered either in cash or through Bank Draft in the name of Secretary State Bar Council of Chhattisgarh payable at Bilaspur. The Nomination papers will be accepted between Office Hour and the candidate may also file an additional Nomination paper.

The prescribed Nomination forms may be obtained from the undersigned by the desirous candidate from the Extension office of the State Bar Council of Chhattisgarh on any working day after this notification between Office Hour. Duly filled up Nomination papers may also be accepted through proposer or seconder or through an agent duly authorized in writing by the candidates or through registered post so as to reach the office of the undersigned on or before the date notified in this behalf.

The polling shall take place on Thursday 5th September 2013 between 10.30 A.M. to 5 P.M. The polling booths shall ordinarily be located in the Court Premises at every District/Civil Court of the State of Chhattisgarh. (Where there is no Civil Court the exact place of polling will be notified separately). The programme of Election is as under :—

Election Programme

छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् का आम चुनाव 2013 का चुनाव

1.	प्रारंभिक मतदाता सूची (Publication of Pre Electoral)	17-04-2013 (120 के भीतर)
2.	दावा आपत्ति (Objection)	05-06-2013 (शाम 5 बजे तक)
3.	अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List)	30-06-2013 (शाम 5 बजे तक)
4.	नोटिफिकेशन (Election Notification)	15-07-2013 (45 दिन पहले)
5.	नामांकन फार्म प्राप्त करने की तिथि एवं नामांकन फार्म जमा करने की तिथि (Nomination Form Available) & (Nomination For Fillup)	17-07-2013 से 20-07-2013 सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक
6.	स्क्रूटनी (Scrutiny)	21-07-2013 (सुबह 11.00 बजे तक)

7.	नाम वापसी (Withdrawal of Nomination Form)	22-07-2013 (सुबह 10.30 बजे से 23-07-2013 शाम 5.00 बजे तक)
8.	उम्मीदवारों की फायनल सूची (Publication of List of Candidates)	24-07-2013 (शाम 5 बजे तक)
9.	मतदान दिवस (Polling Date)	05-09-2013 (सुबह 10.30 बज़े से शाम 5.00 बजे तक)
10.	मतगणना (Counting of Votes)	23 सितम्बर 2013 से प्रारंभ कार्यालयीन अवधि में onwords every day from 10.30 A.M. to 5.00 P.M. in the Hall of State Bar Council, Election Office Near Town Hall, Bilaspur (Chhattisgarh)
11.	Minimum number of seats to be filled up from amongst the advocates who on the relevant date has been on state roll at least for 10 years.	13 (Thirteen)

MALLIKA BAL,
O.S.D.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/454/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.---आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अपोलोस प्रीतिराज नाग आत्मज कुलमणी नाग, निवासी दुबे कालोनी, मोवा, रायपुर ने कवनेंट विजय ईवांजलीकल मिशन ट्रस्ट, दुबे कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	कवनेंट विजय ईवांजलीकल मिशन ट्रस्ट, दुबे कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	4000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 05-08-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29-06-2013 को जारी.

बी. सी. साहू,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 29 जून 2013

प्रारूप
[देखें नियम 5(1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, दुर्ग, जिला-दुर्ग के समक्ष

क्रमांक /2057/प्र. 2/अविअ/2013.— यतः कि श्री व्योमपाद दास उर्फ विनोद रामचन्द्रन आ. श्री के. वी. रामचन्द्रन, निवासी अक्षयपात्र फाउण्डेशन सेक्टर-6 ट्रस्टी द्वारा "टच स्टोन फाउण्डेशन ट्रस्ट"-ओल्ड डेयरी बिल्डिंग सेक्टर-6, गुरूद्वारा भिलाई के पीछे, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन-490006 तहसील व जिला दुर्ग के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 31-07-2013 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	टच स्टोन फाउण्डेशन ट्रस्ट , ओल्ड डेयरी बिल्डिंग सेक्टर-6 भिलाई-गुरूद्वारा भिलाई के पीछे पिन-490006 तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

(31-3-2013 की स्थिति में)

मुहर
दुर्ग, दिनांक-28-06-2013

संजय कुमार दीवान,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.